कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पंत्राक– 1457 /मीरजापुर/ 15 , दिनांक, मीरजापुर अक्टूबर 10, 2018.

सेवा में,

प्रबन्धक तकनीकी,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0 वाराणसी,
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्यवन इकाई एस 8/108,एफ–4, डी0आई0जी0 कालोनी,
मकबूल आलम रोड, वाराणसी–221002 (उ0प्र0)।

विषय– जनपद मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्शन) कि0मी0 संख्या 49.500 से कि0मी0 संख्या 140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 113.6300 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल–131.0175 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक **10473** वृक्षों/पौधो (संशोधित उपरांत 16012 वृक्षों/पौधों) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/06/66/2018/एफ0सी0/454 दिनांक 08.10.2018.

महोदय,

जनपद मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्शन) कि0मी0 संख्या 49.500 से कि0मी0 संख्या 140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 113.6300 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल–131.0175 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक **10473** वृक्षों/पौधो (संशोधित उपरांत 16012 वृक्षों/पौधों) के पातन की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/06/66/2018/एफ0सी0/454 दिनांक 08.10.2018 द्वारा उसमें उल्लिखित 15 शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। कृपया निम्न प्रकार शर्तो का अनुपालन कर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें जिससे प्रकरण की विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (131.0175 X 2 = 262.035 हे0) अर्थात् 263.00 हे0 पर वृक्षारोपण 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 11/97/आर0ओ0सी0/95–2011/भाग–5/1225 दिनांक 22.01.2013 मे उल्लिखित दिशा निर्देश के अनुपालन में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ के पत्रांक 128/2–37–2 (सिलिंग दर) लखनऊ दिनांक 05.08.2016 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 234/15–1 (सिलिग दर) दिनांक 17.08.2017 के अनुसार 263.00 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि मय सेन्टेज चार्ज सहित 3,81,27,266.00 (तीन करोड, इक्यासी लाख सत्ताइस हजार दो सौ छाछठ रू0 मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2(क)– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य इको क्लास–(III) में हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित एन0पी0वी0 रू0 8.03 लाख प्रति हे0 की दर से रू0 8.03 लाख x 131.075 हे0 = रू0 10,52,077,052.50 या 10,52,07,053.00 (दस करोड़ बावन लाख, सात हजार, तिरपन) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

2(ख)– इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए।

2(ग)– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

परियोजना निदेशक का कार्यालय
Office of the Project Director
रा.रा.प्रा.इ. ..., NHAI,PIU, Mirzapur
डायरी सं./Diary No. 379 दिनांक/Date 10.10.2018

Manager (T)
Pl do the needful on priority

11/10/18

विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Farward) एवं पीछे (Backward) तथा उसकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4— सड़क निर्माण के दौरान वन्य प्राणियों के नियमित आवागमन हेतु चिन्हित एवं उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संरचना का निर्माण वन विभाग की देखरेख में परियोजना के व्यय पर किया जायेगा।

5— प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या—27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

6— वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख रेख में किया जाएगा।

7— मार्ग पर कल्मर्ट/पुल—पुलिया का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि प्राकृतिक नाले, नदियॉ/नहर आदि के जल बहाव अवरूद्ध न हों तथा इनसे जल—जमाव की स्थिति न बने।

8— भू—क्षरण एवं जल—जमाव को रोकने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कार्यवाई की जायेगी।

9— प्रस्ताव में उल्लिखित 377 वृक्षों एवं 850 पौधों का प्रत्यारोपण (~~Transaction~~ Translocation) परियोजना व्यय पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी गैर वन भूमि पर वन विभाग की देखरेख में किया जायेगा। प्रत्यारोपण उपरांत वन रोपण एवं स्थल का पूर्ण बिवरण GPS Coordinatesएवं KML File छः माह के अन्दर इस कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

10— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

11— प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

12— सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

13— कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 11—306/2014—एफ0सी0(pt) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

14— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 07 पर पूर्व में स्थित पेट्रोल पम्पों को अभिगम (Access) की अनुमति यथावत मान्य होगी।

15— निर्माण कार्य में आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त की जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सु—स्पष्ट अनुपालन आख्या एवं बचनबद्वता, प्रमाण पत्र जो लागू हों, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनिमय 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नक— सैद्धान्तिक स्वीकृती की प्रति।

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

संख्या— अ/समदिनांक

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर